मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0

पंचम तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010

पत्र संख्या– /नम–2, दिनांक 02/06/2016

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
केन्द्रीय कारागार,
नैनी–इलाहाबाद।

विषयः– केन्द्रीय कारागार नैनी, इलाहाबाद की भूमि की सीमा से 100 फिट के अन्दर रूद्रा प्राइवेट लि0 द्वारा बनाये जा रहे बहुमंजिली आपर्टमेन्ट के लिए कार्योत्तर अनापत्ति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सख्या–362/22–4–16–48(93)/15, दिनांक 27.05.2016 जो आपको भी पृष्ठांकित है का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा केन्द्रीय कारागार नैनी, इलाहाबाद की भूमि की सीमा से 100 फिट के अन्दर रूद्रा प्राइवेट लि0 द्वारा बनाये जा रहे बहुमंजिली आपर्टमेन्ट के सम्बन्ध में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा यथानियम आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कतिपय शर्तों के अधीन उन्हे कार्योत्तर अनापत्ति निर्गत करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि केन्द्रीय कारागार नैनी, इलाहाबाद की भूमि की सीमा से 100 फिट के अन्दर रूद्रा प्राइवेट लि0 द्वारा बनाये जा रहे बहुमंजिली आपर्टमेन्ट के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्योत्तर अनापत्ति निर्गत करना सुनिश्चित करें।

1. कारागारों की सुरक्षा के दृष्टिगत आवंटियों को कब्जा देने से पूर्व जेल की तरफ स्वयं के व्यय पर बाउण्ड्रीवाल को 20 फीट ब्रिक वर्क तथा 15 फीट लोहे की जाल ऊँचा करके घेराबंदी किये जाने का प्रस्ताव रूद्रा नवनिर्माण प्राइवेट लि0 द्वारा किया गया है तकनीकी दृष्टि से 20 फीट ऊँची ब्रिक फील्ड की बाउण्ड्रीवाल के स्थान पर कम ऊँचाई की मजबूत आर0सी0सी0 वाल बनाने व 15 फीट लोहे की जाल को बढ़ाकर 20 फीट ऊँची करके घेराबंदी करायी जाय।

2. कारागारों की सुरक्षा हेतु कारागार की तरफ स्वयं की व्यय पर सी0सी0टी0वी0 कवरेज की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ताकि उधर से आने–जाने वालों की छवि स्पष्ट रूप से रिकार्ड हो सके।

3. ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्श के चारों तरफ 8 फीट ऊँची चहारदीवारी बनायी जायेंगी, जिसमें मात्र दो ही गेट रखे जायेगे। गेट पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित किया जायेगा, ताकि आने–जाने वाले लोगों का कवरेज हो सके और उसका रिकार्ड रखा जा सके।

4. यदि कोई भवन स्वामी (क्रेता) अपना आवास किराये पर देता है तो भवन स्वामी (क्रेता) और किरायेदार की बीच द्विपक्षीय अनुबंध निष्पादित कराया जाय।

5. यदि कोई भवन स्वामी (क्रेता) अपना फ्लैट किराये पर देता है अथवा किसी अन्य को बेचता है, और किरायेदार अथवा नवीन खरीददार के आचरण के सम्बन्ध में कोई संदिग्ध तथ्य प्रकाश में आता है तो उसका पुलिस सत्यापन अनवार्य रूप से कराया जाय।

6. अपार्टमेंट की छत का अधिकार किसी को बेचा न जाय तथा उसके सदैव लाक रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

7. प्रोजेक्ट की बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की वेलफेयर सोसाइटी बनायी जाय और उनके माध्यम से कारागारों की सुरक्षा के उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाय।

8. उपरोक्त शर्तों का पालन हो जाने के बाद ही इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद द्वारा रूद्रा नवनिर्माण प्राइवेट लि0 को पूर्णता प्रमाण पत्र (कम्पलीशन सर्टिफिकेट) जारी किया जाय।

9. यह अनापत्ति अपवाद स्वरूप होगी तथा भविष्य में किसी अन्य प्रकरण के सम्बन्ध में दृष्टांत नही माना जायेगा।

10. संस्था को उपरोक्त शर्तों के अनुपालन की बाध्यता होगी। अनुपालन न किये जाने अथवा विचलन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

यह पत्र अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)
उप महानिरीक्षक (मु0)
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0– 17110 /नम–2, दिनांकितः 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन।
3. उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी इलाहाबाद।
5. निदेशक, रूद्रा नव निर्माण प्राईवेट लिमिटेड, इलाहाबाद।
6. उप महानिरीक्षक कारागार इलाहाबाद परिक्षेत्र इलाहाबाद।

20.02/6/16

(आर0पी0 सिंह)
उप महानिरीक्षक (मु0)
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें
उत्तर प्रदेश।